राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला परिषद (मत्स्य), राजसमन्द (राज.)

क्रमांकः एफ(2)लेखा/ठेका/जिपम/2022–23/437 दिनांकः 27/4/2022

मत्स्याखेट हेतु जलाशय नीलामी सूचना संख्या–1

राजसमन्द जिले में स्थित "ख" श्रैणी के ठेको से शेष रहे जलाशयों में मत्स्याखेट के अधिकार वर्ष 2022–23 (31 मार्च 2023 तक) से आंवटन हेतु मुहरबंद निविदाऐ आमन्त्रित की जाती हैं। जलाशय जिनकी निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र में अंकित हैं। ऐसे जलाशयों की सूची जिला परिषद कार्यालय में देखी जा सकती है। मत्स्याखेट हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कार्यालय समय में निविदा शुल्क रूपयें 400/– (अक्षरे चार सौ रूपये) मात्र नकद भुगतान/डिमाण्ड ड्राफ्ट दिया जाकर प्राप्त की जा सकेगी। निविदाता चाहे तो जिला परिषद राजसमन्द की वेब साईट sppp.rajasthan.gov.in से "ख" श्रैणी हेतु टेन्डर डाउनलोड कर भेज सकता है, परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ नीलामी निविदा शुल्क रूपये 400/– का बैंक ड्राफ्ट अमानता राशि के साथ पृथ्क से जमा कराना होगा।

"ख" श्रैणी के जलाशयों के लिये जिला परिषद, राजसमन्द में द्वारा दिनांक 18.05.2022 को दोपहर 1.00 बजे तक निविदा पत्र बेचे जायेंगे एवं दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे, तथा उसी दिवस दोपहर 2.30 बजे निविदा खोली जायेगी। उचित मूल्य निविदत्त करने पर नियमानुसार (ख) प्रवर्ग के जलाशयों को स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर पॉच वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर देने का प्रस्ताव हैं।

कार्यालय जिला परिषद, राजसमन्द। "ख" प्रवर्ग

निविदा विक्रय की अंतिम दिनांक व समय	निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोले जाने की अंतिम दिनांक व समय	जिला परिषद के जलाशय मय आरक्षित राशि रूपये लाखों में
18.05.2022 दोपहर 1.00 बजे तक	18.05.2022 दोपहर 2.00 बजे तक	18.05.2022 दोपहर 2.30 बजे तक	बंध– कालाभाटा – 4.83 बंध–कुंडली – 1.50 बंध–माताजी का खेड़ा– 4.00 बंध– भराई तालाब – 1.20 बंध– रणजीत सागर – 2,25 बंध– मीठाझारा – 0.60 बंध– सुखई – 0.55 बंध– कुवास का गुड़ा– 0.80 बंध–बाघाखेड़ा – 0.85

प्रत्येक निविदादाता को आरक्षित राशि का 10 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द के नाम देय बैंक डी0डी0 द्वारा जमा करानी होगी, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की प्राधिकृत समिति को किसी प्रस्तावित निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा, निविदा में अंकित किये जाने वाले नाम व निवास स्थान के पते की पुष्टी हेतु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, आदि की प्रति निविदा फार्म खरीदते समय प्रस्तुत करनी होगी, इसके अभाव में सम्बन्धित को निविदा फार्म उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा, यदि उक्त निविदा दिनांक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है तो उक्त निविदा आगामी कार्य दिवस में खोली जावेगी।

UBN: ZRR2223A0009

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, राजसमन्द

क्रमांकः एफ(2)लेखा/ठेका/जिपम/2022–23/438-44

दिनांक : 27/4/2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, मत्स्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द
3. श्रीमान संपादक जी,..............................राजसमन्द, को विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि नीलामी विज्ञप्ति केवल राजसमन्द जिले के संस्करण में राज्य स्तरीय पेज पर एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करावें।
4. सहायक निदेशक मत्स्य/मत्स्य विकास अधिकारी/मत्स्य परियोजना अधिकारी राजसमन्द
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द।
6. मत्स्य ठेकेदार श्री..............................
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, राजसमन्द

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला परिषद (मत्स्य), राजसमन्द (राज.)

क्रमांकः एफ(2)लेखा/ठेका/जिपम/2022–23/437 दिनांक: 27/4/2022

मत्स्याखेट हेतु जलाशय नीलामी सूचना संख्या–1

राजसमन्द जिले में स्थित "ख" श्रेणी के ठेको से शेष रहे जलाशयों में मत्स्याखेट के अधिकार वर्ष 2022–23 (31 मार्च 2023 तक) से आंवटन हेतु मुहरबंद निविदाऐ आमन्त्रित की जाती हैं। जलाशय जिनकी निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र में अंकित हैं। ऐसे जलाशयों की सूची जिला परिषद कार्यालय में देखी जा सकती है। मत्स्याखेट हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कार्यालय समय में निविदा शुल्क रूपयें 400/– (अक्षरे चार सौ रूपये) मात्र नकद भुगतान/डिमाण्ड ड्राफ्ट दिया जाकर प्राप्त की जा सकेगी। निविदाता चाहे तो जिला परिषद राजसमन्द की वेब साईट sppp.rajasthan.gov.in से "ख" श्रेणी हेतु टेन्डर डाउनलोड कर भेज सकता है, परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ नीलामी निविदा शुल्क रूपये 400/– का बैंक ड्राफ्ट अमानता राशि के साथ पृथ्क से जमा कराना होगा।

"ख" श्रेणी के जलाशयों के लिये जिला परिषद, राजसमन्द में द्वारा दिनांक 18.05.2022 को दोपहर 1.00 बजे तक निविदा पत्र बेचे जायेंगे एवं दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे, तथा उसी दिवस दोपहर 2.30 बजे निविदा खोली जायेगी। उचित मूल्य निविदत्त करने पर नियमानुसार (ख) प्रवर्ग के जलाशयों को स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर पॉच वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर देने का प्रस्ताव हैं।

कार्यालय जिला परिषद, राजसमन्द। "ख" प्रवर्ग

निविदा विक्रय की अंतिम दिनांक व समय	निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोले जाने की अंतिम दिनांक व समय	जिला परिषद के जलाशय मय आरक्षित राशि रूपये लाखों में
18.05.2022 दोपहर 1.00 बजे तक	18.05.2022 दोपहर 2.00 बजे तक	18.05.2022 दोपहर 2.30 बजे तक	बंध– कालाभाटा – 4.83 बंध–कुंडली – 1.50 बंध–माताजी का खेड़ा– 4.00 बंध– भराई तालाब – 1.20 बंध– रणजीत सागर – 2,25 बंध– मीठाझारा – 0.60 बंध– सुखई – 0.55 बंध– कुवास का गुड़ा– 0.80 बंध–बाघाखेडा – 0.85

प्रत्येक निविदादाता को आरक्षित राशि का 10 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द के नाम देय बैंक डी0डी0 द्वारा जमा करानी होगी, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की प्राधिकृत समिति को किसी प्रस्तावित निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा, निविदा में अंकित किये जाने वाले नाम व निवास स्थान के पते की पुष्टी हेतु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, आदि की प्रति निविदा फार्म खरीदते समय प्रस्तुत करनी होगी, इसके अभाव में सम्बन्धित को निविदा फार्म उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा, यदि उक्त निविदा दिनांक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है तो उक्त निविदा आगामी कार्य दिवस में खोली जावेगी।

UBN: ZRR2223A0009

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, राजसमन्द

क्रमांकः एफ(2)लेखा/ठेका/जिपम/2022–23/438-44 दिनांक: 27/4/2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, मत्स्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द
3. श्रीमान संपादक जी,...राजसमन्द, को विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि नीलामी विज्ञप्ति केवल राजसमन्द जिले के संस्करण में राज्य स्तरीय पेज पर एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करावें।
4. सहायक निदेशक मत्स्य/मत्स्य विकास अधिकारी/मत्स्य परियोजना अधिकारी राजसमन्द
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द।
6. मत्स्य ठेकेदार श्री...
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, राजसमन्द